

एन0पी0वी0 की गणना सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

ओबरा वन प्रभाग के डाला रेंज के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/04/1962/98/एफ0सी0 दिनांक-08.03.1999 एवं इसके कम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या जी0आई0 322/14-2-99-700(2)97 दिनांक-01.10.1999 द्वारा 400के0वी0 ली0लो0 ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 19.968हे0 वन भूमि 20 वर्षों की लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी, जिसकी लीज अवधि दिनांक-01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को 400के0वी0 ली0लो0 ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु दी गयी 19.968हे0 (धारा 4 में अधिसूचित भूमि को वन भूमि मानते हुए) वन भूमि धारा 20 की अधिसूचना के अनुसार 19.968हे0 के बजाय 7.518हे0 है। वर्तमान में उक्त लाईन में प्रभावित होने वाली 7.5118हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या-एफ0नं0 5-3/2011-एफ0सी0 दिनांक-06.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 धनराशि के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	प्रकरण विवरण	प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि(हे0)	इको क्लास-3 एवं वानस्पतिक घनत्व 0.3 के अनुसार भारत सरकार के पत्र दिनांक-06.01.2022 द्वारा निर्धारित एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि	एन0पी0वी0 की निर्धारित कुल धनराशि (रू0में)
1	जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत 400के0वी0 ली0लो0 ओबरा विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को लीज पर दी गयी आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव	7.5118हे0	9,57,780.00 रुपये प्रति हे0	71,94,651.80 अथवा 71,94,652.00

(रू0 एकहत्तर लाख चौरानबे हजार छः सौ बावन रुपये मात्र)

(प्रखर मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।